

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डिण्डौरी जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

क्रं. ९९५

डिण्डौरी, दिनांक २४/११/१९

भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र

आवेदक, रमादेवी शिक्षण एवं सेवा समिति डिण्डौरी, द्वारा सचिव अनुराग बिलैया निवासी डिण्डौरी ने अपनी भूमि स्वामी हक्क की भूमि ग्राम सुबखार माल प.ह.नं. 68 (पूर्व प.ह.नं.34) में स्थित खसरा नं. 71/5 रकवा 0.210 हेक्टेयर (2106.47 वर्गमीटर) एवं खसरा नं. 71/6, 72/1ड, 72/1च रकवा 0.404 हेक्टेयर (4044.75 वर्गमीटर) भूमि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र चाहा है, भूमि का डायवर्सन राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 (अ-2) 2005-06 आदेश दिनांक 05/10/2005 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 162 (अ-2) 2006-07 आदेश दिनांक 27/06/2007 को किया गया है। उक्त भूमि का उपयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। जिसकी अनुशंसा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।



Satyam
अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
डिण्डौरी

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिण्डौरी

रा.प्र.क्रं. 1547 / (अ-2) / 2021-22

आवेदक/आवेदिका का नाम:- रमा देवी शिक्षण एवं सेवा समिति, द्वारा नीता बिलैया

पिता/पति का नाम:- मनीष बिलैया

आवेदक/आवेदिका का पता:- निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 04 डिण्डौरी तह0 व, जिला डिण्डौरी

विरुद्ध

म0प्र0शासन

व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि एवं आदेश

(दिनांक 25.04.2022)

म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अन्तर्गत आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमति रमा देवी शिक्षण एवं सेवा समिति, द्वारा नीता बिलैया पिता/पति मनीष बिलैया निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 04 मेन रोड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को ग्राम/सेक्टर सुबखार माल प0ह0न0 ..68. रा0नि0मं0 डिण्डौरी तहसील डिण्डौरी/बजाग जिला डिण्डौरी स्थित नीचे तालिका में दिये गये विवरण के भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गई है। उसके द्वारा चालान क्रमांक 0029/11/21/047800 दिनांक 16.12.2021 राशि 4040/- शब्दों में (चार हजार चालीस रुपये) से जमा किये गये प्रीमियम एवं वार्षिक पुननिर्धारित भू-राजस्व की राशि के विवरण तालिका निम्नानुसार है :-

न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण :-

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तन का प्रयोजन	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम वर्ग मीटर (रूपये में)	भू-राजस्व वर्ग मीटर (रूपये में)	कुल योग	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो रूपये में)	शाला विकास (यदि देय हो तो रूपये में)	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71/6 (S) 72/1ड, 72/1च	व्यवसायिक	4040	शैक्षणिक	4040	0	4040	4040	0	0	4040

एतद् द्वारा, व्यपवर्तित भूमि पर देय प्रीमियम तथा पुननिर्धारण वार्षिक, भू-राजस्व की गणना सही है एवं गणना अनुसार राशि जमा की जा चुकी है। अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुननिर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अन्तर्गत व्यपवर्तन की सूचना में उल्लेखित गणना की पुष्टि की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार आदेश के पालन में संबंधित भू-अभिलेखों में पृविष्टियों अद्यतन करायें और समायोजन की दशा में समायोजित राशि का भी अभिलेख में उल्लेख करें।

दिनांक 25.04.2022



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डिण्डौरी (म.प्र.)
राजस्व



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिण्डौरी

रा.प्र.क्रं. 2126/(अ-2)/2021-22

आवेदक/आवेदिका का नाम:- रमा देवी शिक्षण एवं सेवा समिति, द्वारा अनुराग बिलैया
पिता/पति का नाम :- बद्रीप्रसाद बिलैया
आवेदक/आवेदिका का पता:- निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 04 डिण्डौरी तहसील व जिला डिण्डौरी

विरुद्ध

म.प्र.प्र.शासन

व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि एवं आदेश

(दिनांक 24.12.2021)

म.प्र.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अन्तर्गत आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमति रमा देवी शिक्षण एवं सेवा समिति, द्वारा अनुराग बिलैया पिता/पति बद्रीप्रसाद बिलैया निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 04 मेन रोड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को ग्राम/सेक्टर सुबखार माल प.0.ह.0.न.0 68 रा.0.नि.0.मं.0 डिण्डौरी तहसील व जिला डिण्डौरी स्थित नीचे तालिका में दिये गये विवरण के भूमि के व्यपवर्तन की सूचना प्रस्तुत की गई है। उसके द्वारा चालान क्रमांक 0029/12/21/078237 दिनांक 24.12.2021 राशि 2100/- शब्दों में (दो हजार एक सौ रुपये) से जमा किये गये प्रीमियम एवं वार्षिक पुननिर्धारित भू-राजस्व की राशि के विवरण तालिका निम्नानुसार है :-

न्यायालय द्वारा संगणित की गई राशि का विवरण :-

सर्वेक्षण संख्यांक	व्यपवर्तन पूर्व का प्रयोजन	क्षेत्रफल ल (वर्ग मीटर में)	व्यपवर्तन का प्रयोजन	व्यपवर्तित का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम वर्ग मीटर (रुपये में)	भू-राजस्व वर्ग मीटर (रुपये में)	कुल योग	पंचायत उपकर (यदि देय हो तो रुपये में)	शाला विकास (यदि देय हो तो रुपये में)	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71/5	व्यवसायिक	2100	शैक्षणिक	2100	0	2100	2100	0	0	2100

एतद् द्वारा, व्यपवर्तित भूमि पर देय प्रीमियम तथा पुननिर्धारण वार्षिक, भू-राजस्व की गणना सही है एवं गणना अनुसार राशि जमा की जा चुकी है। अतः म.प्र.प्र.भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुननिर्धारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) के अन्तर्गत व्यपवर्तन की सूचना में उल्लेखित गणना की पुष्टि की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार आदेश के पालन में संबंधित भू-अभिलेखों में पृविष्टियों अद्यतन करायें और समायोजन की दशा में समायोजित राशि का भी अभिलेख में उल्लेख करें।

दिनांक 24.12.2021



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) डिण्डौरी (म.प्र.)

